

3: विनियोग लेखे: 2012-13

3.1 संवैधानिक प्रावधान

लोक सभा द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अंतर्गत अनुदान हेतु मांगों के पारित होने के तुरन्त बाद, सरकार अनुच्छेद 114 के अधीन भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में से विनियोग के लिए एक विनियोग बिल प्रस्तुत करती है। संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम, सरकार को विशिष्ट सेवाओं के लिए भा.स.नि. से उपयुक्त विशिष्ट राशियों के विनियोग का प्राधिकार देता है। संसद, संविधान के अनुच्छेद 115 के अंतर्गत अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत कर सकती है। विनियोग अधिनियमों में अनुच्छेद 114 तथा 115 के नियमानुसार विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत संसद द्वारा दत्तमत की गई सेवाओं पर संवितरण तथा अनुच्छेद 112(3) के साथ-साथ अनुच्छेद 293(2) के अनुसार भा.स.नि. को प्रभारित किए गए संवितरण को प्राधिकृत किया गया है। सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवाओं पर उसके द्वारा वास्तव में व्यय की गई सकल राशि तथा विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यय के तुलनात्मक विवरण को दर्शाते हुए विनियोग लेखे तैयार करती है।

लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) सिविल मंत्रालयों के 99 अनुदानों और विनियोजनों के संबंध में विनियोग लेखे तैयार करता है। रक्षा तथा रेल मंत्रालय, और डाक विभाग अपने स्वयं के अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रत्येक वर्ष संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत अपने प्रतिवेदन सहित सरकार के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिविल, रक्षा, डाक तथा रेलवे के संबंध में चार विनियोग लेखे, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जो उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। 2012-13 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों तथा विनियोगों के लिए मांगों का विवरण निम्नानुसार था:

मंत्रालय	अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों की संख्या
सिविल	99
रक्षा सेवाएं	6
डाक सेवाएं	1
रेलवे	16
योग	122


इस प्रतिवेदन में विनियोग लेखाओं (सिविल, डाक तथा रक्षा सेवाएं), पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निहित होती हैं जिनमें आबंटन से अधिक व्यय, जिसके लिए संसद द्वारा विनियमन आवश्यक हो; अव्ययित प्रावधान, जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो; अनियमित तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, कुछ मंत्रालयों द्वारा आवश्यकता के बिना

किए गए अनुपूरक प्रावधान, अव्यवहारिक बजट, तथा गहन परीक्षण के लिए चयनित मंत्रालयों के संबंध में विस्तृत अभ्युक्तियों के विश्लेषण शामिल होते हैं। क्षेत्रीय विशिष्टताओं की बेहतर विवेचना की सुविधा हेतु सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक तथा रक्षा सम्बन्धी सभी अनुदानों/विनियोगों पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। विनियोग प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार रेलवे विनियोगों के हवाले दिये गये हैं। तथापि, रेलवे विनियोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष, 2012-13 को समाप्त वर्ष से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पृथक रूप से उपलब्ध है।

3.2 कुल प्रावधानों/वास्तविक संवितरणों का सारांश

नीचे दिया गया चार्ट 3.1 सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं के मध्य व्यय के वितरण को दर्शाता है। जैसा कि चार्ट से देखा जा सकता है कि 92 प्रतिशत तक का अधिकतम व्यय सिविल मंत्रालयों द्वारा, रेलवे द्वारा चार प्रतिशत, रक्षा सेवाओं द्वारा चार प्रतिशत किया गया था जबकि कुल सकल व्यय का 0.3 प्रतिशत डाक विभाग द्वारा किया गया।

चार्ट 3.1: वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों, रेलवे, डाक तथा रक्षा सेवाओं के मध्य व्यय का विघटन



वर्ष 2012-13 के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत के अन्तर्गत व्यय

(₹ करोड़ में)

सिविल		रेलवे		डाक		रक्षा		कुल	
47,93,466		2,26,339		15,627		1,87,469		52,22,901	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
977071	3816395	226055	284	15626	1	187191	278	1405943	3816958
20.38%	79.62%	99.87%	0.13%	99.99%	0.01%	99.85%	0.15%	26.92%	73.08%

नीचे तालिका 3.1 वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार के कुल प्रावधान (प्रभारित तथा दत्तमत दोनों) तथा संवितरण दर्शाती है। अनुबंध-3.1 में सिविल मंत्रालयों, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं के सारांश के ब्यौरे प्रस्तुत हैं।

तालिका 3.1: 2012-13 के दौरान प्रावधान तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	कुल प्रावधान	संवितरण	बचत(-) आधिक्य (+)	कुल प्रावधान की तुलना में बचत/आधिक्य की प्रतिशतता
सिविल	5345368	4793466	(-) 551902	10.32
डाक	15938	15627	(-) 311	1.95
रक्षा सेवाएं	198526	187469	(-) 11057	5.57
रेलवे	244889	226339	(-) 18550	7.57
कुल योग	5804721	5222901	(-) 581820	10

सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत, ₹5,51,902 करोड़ की निवल बचत सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबन्धित 97 विनियोगों/अनुदानों में ₹5,56,467 करोड़ की बचत तथा चार विनियोगों/अनुदानों के अंतर्गत ₹4,565 करोड़ के अधिक व्यय के कारण थी।

₹5,56,467 करोड़ के समग्र बचत में से अनुदान सं. 37-विनियोग-ऋणों का पुनर्भुगतान के अंतर्गत पूंजीगत (प्रभारित) खण्ड में ₹3,59,181 करोड़, अनुदान सं. 32-आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत दो खण्डों (राजस्व दत्तमत एवं पूंजी दत्तमत) में ₹53,697 करोड़ था, अनुदान सं. 35-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण के अंतर्गत राजस्व (दत्तमत/प्रभारित) तथा पूंजीगत (प्रभारित) खण्डों में ₹35,928 करोड़., अनुदान सं.82- ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राजस्व (दत्तमत) खण्ड में ₹26,267 करोड़ था, अनुदान सं. 75-विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व/पूंजीगत (दत्तमत) खण्डों में ₹9,436 करोड़, अनुदान संख्या 81-सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व/पूंजीगत (दत्तमत) खण्डों में ₹8,447 करोड़ था तथा अनुदान सं. 46-स्वास्थ्य एवं

परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राजस्व/पूँजीगत (दत्तमत) खण्डों में ₹6,108 करोड़ था। मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया था कि ₹4,565 करोड़ के समग्र अधिक व्यय में से अनुदान सं. 21-रक्षा पेंशन के दत्तमत राजस्व तथा प्रभारित राजस्व खण्डों के अंतर्गत प्रत्येक पद पर समान पेंशन योजना के कार्यान्वयन, बैंक से लंबित पेंशन स्क्रोलों की प्राप्ति, न्यायालय डिक्री के कार्यान्वयन, संशोधित आश्वासित कैरियर उन्नयन योजना (सं.आ.कै.उ.यो.), स्थानीय डिस्चार्ज, पूर्व-मुक्ति प्रकरणों, मृत्यु प्रकरणों तथा अवकाश नकदीकरण के अधिक प्रकरण प्राप्त होने के कारण ₹ 3,868 करोड़ का व्यय था।

सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 204 अनुभागों में बचतें और पांच अनुभागों में आधिक्य, डाक विभाग के तीन अनुभागों में बचतें और एक अनुभाग में आधिक्य; रेलवे के 19 अनुभागों में बचतें और 10 अनुभागों में आधिक्य तथा रक्षा सेवाओं के नौ अनुभागों में बचतें तथा तीन अनुभागों में आधिक्य थे। **अनुबंध-3.2** विवरणों के सार को दर्शाता है।

3.3 प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण


संविधान के अनुच्छेद 112 (2) के अनुसार, प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के बीच एक अन्तर बनाया गया है। प्रभारित व्यय वह व्यय हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 112 (3) में परिभाषित किया गया है। प्रभारित व्यय को संसद के मत के अधीन नहीं लाया जा सकता जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 113 (1) में निर्धारित है परंतु संसद के किसी भी सदन में उस पर चर्चा की जा सकती है। **अनुबंध-3.3** में 2000-2013 के वर्षों के लिए सिविल मंत्रालयों/विभागों की प्राधिकृत मांगों (अनुदान तथा विनियोग) के प्रति किए गए वास्तविक संवितरणों का विवरण दिखाया गया है। इन वर्षों के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों के कुल संवितरणों के 70 प्रतिशत से 81 प्रतिशत तक भारत की समेकित निधि को प्रभारित थे।

2012-13 के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत ₹47,93,466 करोड़ के कुल संवितरण 2011-12 के दौरान किए गए ₹ 47,62,240 करोड़ के कुल संवितरण की तुलना में ₹31,226 करोड़ अधिक थे। यह 2000-01 के ₹5,66,042 करोड़ से 747 प्रतिशत अधिक था। प्रभारित संवितरण 2000-01 के ₹4,05,289 करोड़ से 842 प्रतिशत बढ़ कर 2012-13 में ₹38,16,395 करोड़ हो गए तथा उसी अवधि में दत्तमत संवितरण ₹1,60,753 करोड़ से 508 प्रतिशत बढ़ कर ₹9,77,071 करोड़ तक हो गए थे। 2012-13 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों के प्रभारित संवितरण कुल संवितरणों के 80 प्रतिशत थे।

मुख्य प्रभारित संवितरणों में, ₹34,26,893 करोड़ के ऋण पुनर्भुगतान, ₹3,30,183 करोड़ ब्याज भुगतान तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों, ब्लॉक अनुदानों, राज्य योजनागत योजनाओं हेतु ऋणों इत्यादि पर राज्य तथा संघ शासित सरकारों को ₹55,906 करोड़ के अंतरण सम्मिलित थे। चूंकि प्रभारित संवितरण संसद के मतदान के अधीन नहीं हैं, इसलिए संसद द्वारा प्रभावी वित्तीय नियंत्रण की गुंजाइश संघ सरकार के कुल संवितरण के केवल 20 प्रतिशत तक ही सीमित होती है।

चार्ट 3.2, 2008-09 से 2012-13 के दौरान पिछले पांच वर्षों में संघ सरकार में दत्तमत व्यय से प्रभारित व्यय की अधिकता को प्रकट करता है। सिविल, डाक, रक्षा सेवाएं और रेलवे को शामिल करते हुए, वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान भा.स.नि. से ₹52,22,901 करोड़ के कुल संवितरणों के प्रति प्रभारित संवितरण की प्रतिशतता 73 प्रतिशत (₹38,16,958 करोड़) थी।

चार्ट 3.2: वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत अनुभागों के अन्तर्गत व्यय



विनियोग लेखे 2012-13: एक विश्लेषण

3.4 अधिक संवितरण वाले अनुदान/विनियोग

संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अनुसार विधि द्वारा पारित किए गए विनियोगों के अतिरिक्त, कोई भी धन, भारत की समेकित निधि से, आहरित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली 2005, के नियम 52(3) में अनुबद्ध है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने या आकस्मिक निधि से अग्रिम को छोड़कर, कोई ऐसा

संवितरण नहीं किया जाना चाहिए जिसके कारण किसी वित्तीय वर्ष के दौरान संसद द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान अथवा विनियोग से आधिक्य हो जाए। नीचे दी गयी तालिका 3.2 में 2012-13 के दौरान भा.स.नि. में से प्राधिकृत संवितरण से ₹6591,30,34,331 (₹6591.30 करोड़) के आधिक्य का सारांश दिखाया गया है। सिविल मंत्रालयों/विभागों में चार अनुदानों/विनियोगों के पांच खण्डों में ₹4565,39,25,407 (₹4,565.39 करोड़), रेलवे के आठ अनुदानों/विनियोगों के 10 खण्डों में ₹16702406859 (₹1,670.24 करोड़), रक्षा सेवा के तीन अनुदानों के तीन खण्डों में ₹195,53,44,892 (₹195.53 करोड़) तथा डाक विभाग के एक अनुदान के एक खण्ड में ₹160.13,57,173 (₹160.14 करोड़) का अधिक संवितरण था। अधिक व्यय, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 115 (1)(ख) के अंतर्गत नियमित करना आवश्यक था, के ब्यौरे तालिका 3.3 में दिये गये हैं।

तालिका 3.2: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरणों का सार

(राशि ₹ में)

		सिविल	रक्षा	डाक	रेलवे
दत्तमत	राजस्व	3865,77,23,294	--	160,13,57,173	1668,94,67,521
	पूँजीगत	--	--	--	--
प्रभारित	राजस्व	699,62,02,113	195,53,44,892	--	1,29,39,338
	पूँजीगत	--	--	--	--
अनुदानों/विनियोगों की संख्या		4	4	1	8
खंड		5	3	1	10
कुल आधिक्य		4565,39,25,407	195,53,44,892	160,13,57,173	1670,24,06,859
कुल योग		6591,30,34,331			

तालिका 3.3: अनुदानों/विनियोगों के अनुसार अधिक संवितरण के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	आंकड़े ₹ में	मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
सिविल			
राजस्व (दत्तमत)			
1.	21-रक्षा पेंशन	अनुदान व्यय आधिक्य 39499,18,00,000 43362,89,24,944 3863,71,24,944	प्रत्येक पद पर एक समान पेंशन योजना के कार्यान्वयन, बैंक से लंबित पेंशन स्क्रोलों की प्राप्ति तथा न्यायालय डिक्री के कार्यान्वयन के कारण।
2.	40- भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	अनुदान व्यय आधिक्य 2561,55,00,000 2563,60,98,350 2,05,98,305	क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रति अतिरिक्त आवश्यकता, संशोधित आश्वासित कैरियर उन्नयन योजना (सं.आ.कै.उ.यो.), बकायों का भुगतान, अधिक चिकित्सा दावों की प्राप्ति तथा रिक्त पदों को भरना।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ लेखे 2012-13

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	आंकड़े ₹ में	मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
राजस्व (प्रभारित)			
3.	21-रक्षा पेंशन	विनियोग व्यय आधिक्य 82,00,000 4,81,60,400 3,99,60,400	संशोधित आशवासित कैरियर उन्नयन योजना के अधिक मामलों की प्राप्ति, वेतन का पुनर्निर्धारण, स्थानीय निपटान, पूर्व-मुक्ति प्रकरण, मृत्यु प्रकरण तथा सेवानिवृत्त होने वालों के क्रेडिट में अधिक अवकाश।
4.	34 - ब्याज भुगतान	विनियोग व्यय आधिक्य 329487,43,00,000 330182,67,86,901 695,24,86,901	आधिक्य टिप्पणी उपलब्ध नहीं कराई गई
5.	101- शहरी विकास विभाग रेलवे	विनियोग व्यय आधिक्य 44,23,00,000 44,60,54,812 37,54,812	आधिक्य टिप्पणी उपलब्ध नहीं कराई गई
राजस्व (दत्तमत)			
6.	8- परिचालन व्यय-रॉलिंग स्टॉक एवं उपकरण	अनुदान व्यय आधिक्य 7860,77,94,000 7888,94,97,579 28,17,03,579	अधिक संविदा संबंधी भुगतान, स्टाफ लागत के प्रति अधिक व्यय करना।
7.	10- परिचालन व्यय-ईंधन	अनुदान व्यय आधिक्य 21729,34,02,000 22388,16,45,046 658,82,43,046	एच.एस.डी. तेल की मूल लागत में वृद्धि तथा एच.एस.डी. तेल के अधिक उपयोग, बाहर से खरीदी गई ऊर्जा की दर में वृद्धि।
8.	13-भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	अनुदान व्यय आधिक्य 20576,72,00,000 21558,67,20,896 98195,20,896	सं.आ.कै.उ.यो. तथा महंगाई भत्ते में वृद्धि के कार्यान्वयन के कारण पेंशन संवितरण प्राधिकारियों से अधिक डेबिट की प्राप्ति, अधिक अनुग्रह पेंशन, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के अधिक मामले, पेंशन का चयन करने वालों के लिए अवकाश नकदीकरण तथा नई पेंशन योजना हेतु अधिक सरकारी योगदान।
राजस्व (प्रभारित)			
9.	03-सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	विनियोग व्यय आधिक्य 91,000 42,73,995 41,82,995	अनुमान से अधिक आज्ञप्ति भुगतान किए जाने के कारण।
10.	04-स्थायी मार्गों की मरम्मत तथा अनुसंधान एवं निर्माण	विनियोग व्यय आधिक्य 51,22,000 97,41,936 46,19,936	अनुमान से अधिक आज्ञप्ति भुगतान किए जाने के कारण।
11.	05-चालन शक्ति की मरम्मत एवं अनुसंधान	अनुदान व्यय आधिक्य 0 4,12,746 4,12,746	अनुमान से अधिक आज्ञप्ति भुगतान किए जाने के कारण।
12.	07-संयंत्र एवं उपकरण की मरम्मत एवं अनुसंधान	विनियोग व्यय आधिक्य 17,000 2,28,968 2,11,968	अनुमान से अधिक आज्ञप्ति भुगतान किए जाने के कारण।
13.	08-परिचालन व्यय-रॉलिंग स्टॉक एवं उपकरण	विनियोग व्यय आधिक्य 0 4,96,123 4,96,123	अनुमान से अधिक आज्ञप्ति भुगतान किए जाने के कारण।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	आंकड़े ₹ में		मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
14.	11-स्टाफ कल्याण एवं सुविधाएँ	विनियोग व्यय आधिक्य	469000 1921241 1452241	अनुमान से अधिक आज़ाप्ति भुगतान किए जाने के कारण।
15.	13-भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	विनियोग व्यय आधिक्य	58,20,000 73,83,329 15,63,329	अनुमान से अधिक आज़ाप्ति भुगतान किए जाने के कारण।
डाक सेवाएँ राजस्व (दत्तमत)				
16.	13-डाक विभाग	अनुदान व्यय आधिक्य	15320,49,00,000 15480,62,57,173 160,13,57,173	मंहगाई भत्ता में सामान्य वृद्धि, वेतन में वृद्धि, सं.आ.कै.उ.यो., आदि के कारण।
रक्षा सेवाएँ राजस्व (प्रभारित)				
17.	22.-रक्षा सेवाएँ -थल सेना	विनियोग व्यय आधिक्य	45,27,00,000 221,87,35,739 176,60,35,739	धनपालन मामले में न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन।
18.	23-रक्षा सेवाएँ-नौ सेना	विनियोग व्यय आधिक्य	13,20,00,000 22,76,80,239 9,56,80,239	धनपालन मामले में न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन।
19.	24-रक्षा सेवाएँ-वायु सेना	विनियोग व्यय आधिक्य	6,18,00,000 15,54,28,914 9,36,28,914	धनपालन मामले में न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन।

अनुदान/विनियोग आंकड़ों में यदि कोई अनुपूरक अनुदान/विनियोग हो तो वो शामिल है।

अनुदान सं. 25 - रक्षा सेवाएँ-आयुध कारखाने राजस्व (दत्तमत) में ₹1,796.48 करोड़ निवल राशि की प्राधिकृति प्राप्त की गयी तथा उसकी तुलना में ₹1,754.03 करोड़ का निवल व्यय वहन किया गया। तथापि, ₹11,934.94 करोड़ का सकल व्यय किया गया। अतः इस अनुदान में रक्षा मंत्रालय ने संसद की प्राधिकृति से ₹10,138.46 करोड़ की राशि का अधिक व्यय वहन किया। इस अनुदान में संसद द्वारा गलत रूप से किए गए प्राधिकरण का विवरण प्रतिवेदन के पैरा 4.1 में दिया गया है। लेखापरीक्षा के मतानुसार संविधान के अनुच्छेद 115(1) (ख) के अंतर्गत इस अधिक व्यय को नियमित किये जाने की भी आवश्यकता होगी।

रेलवे अनुदानों से संबंधित अन्य विवरण भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2012-13 के लिए संबंधित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित किए गए हैं।

3.5 अनुदानों में निरन्तर आधिक्य

संवीक्षा में 2008-09 से 2012-13 तक की पांच वर्ष की अवधि हेतु लगातार आधिक्य के पंजीबद्ध अनुदानों को लिया गया था। संवीक्षा से पता चला कि विश्लेषण के पांच वर्ष की अवधि में से कम से कम तीन वर्षों में नौ अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत निरन्तर

आधिक्य हुए थे। आबंटनों की तुलना में निरन्तर आधिक्यों का अनुदान-वार तथा वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.4: अनुदानों/विनियोगों में लगातार आधिक्य

(₹ में राशि)

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
सिविल अनुदान						
राजस्व (दत्तमत)						
1.	21- रक्षा पेशान आधिक्य- व्यय- अनुदान-	13,32,985 20233,08,32,985 20232,95,00,000	8999,54,01,305 34999,29,01,305 25999,75,00,000	3336,30,72,983 37336,05,72,983 33999,75,00,000	3568,81,46,182 37568,56,46,182 33999,75,00,000	3863,71,24,944 43362,89,24,944 39499,18,00,000
डाक सेवाएं						
राजस्व (दत्तमत)						
2.	13- डाक विभाग आधिक्य- व्यय- अनुदान-	-	818,12,99,976 13344,82,99,976 12522,67,00,000	366,63,29,167 13793,26,29,167 13426,63,00,000	400,03,82,246 14162,36,82,246 13762,33,00,000	160,13,57,173 15480,62,57,173 15320,49,00,000
रेलवे						
राजस्व (दत्तमत)						
3.	04- स्थायी मार्गों की मरम्मत तथा अनुरक्षण एवं निर्माण आधिक्य- व्यय- अनुदान-	104,05,87,825 5944,26,92,825 5840,21,05,000	55,50,24,359 7496,25,82,359 7440,75,58,000	7,75,52,784 7386,56,17,784 7378,80,65,000	-	-
4.	05- चालन शक्ति की मरम्मत एवं अनुरक्षण आधिक्य- व्यय- अनुदान-	95,24,56,565 2924,36,28,565 2829,11,72,000	90,87,30,288 3479,19,71,288 3388,32,41,000	75,06,60,832 3423,60,13,832 3348,53,53,000	-	-
5.	06- माल डिब्बों एवं यात्री डिब्बों की मरम्मत एवं अनुरक्षण आधिक्य- व्यय- अनुदान-	149,69,22,039 6430,23,89,039 6280,54,67,000	164,57,39,230 7857,06,14,230 7692,48,75,000	221,08,77,978 7799,58,75,978 7578,49,98,000	-	-

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
6.	08- परिचालन व्यय - रोलिंग स्टॉक एवं उपकरण आधिक्य- व्यय- अनुदान-	131,05,69,735 4711,59,77,735 4580,54,08,000	36,30,60,599 5983,59,00,599 5947,28,40,000	189,88,89,127 6156,81,96,127 5966,93,07,000	-	28,17,03,579 7888,94,97,579 7860,77,94,000
7.	12- विविध संचालन व्यय आधिक्य- व्यय- अनुदान-	-	19,58,54,173 3177,23,12,173 3157,64,58,000	648,43,86,934 4002,49,56,934 3354,05,70,000	278,20,93,415 4388,08,15,415 4109,87,22,000	-
8.	13- भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ आधिक्य- व्यय- अनुदान-	-	1512,38,96,979 16911,20,69,979 15398,81,73,000	1403,97,51,918 16352,71,21,918 14948,73,70,000	769,61,68,663 18326,96,73,663 17557,35,05,000	981,95,20,896 21558,67,20,896 20576,72,00,000
रेलवे राजस्व (प्रभारित)						
9.	03- सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं आधिक्य- व्यय- विनियोग-	1,04,322 9,52,322 8,48,000	24,21,286 34,79,286 10,58,000	20,97,842 36,49,842 15,52,000	27,29,201 30,34,201 3,05,000	41,82,995 42,73,995 91,000

अनेक अनुदानों में वर्ष-दर वर्ष आधिक्य होना चिंता का विषय है। रक्षा पेंशन के मामले में बड़ी राशि की अबाधित अधिकता निरपेक्ष हो गयी है। लोक लेखा समिति द्वारा आधिक्य के मामलों में कमी लाने की सिफारिशों के बावजूद इन अनुदानों में लगातार आधिक्य देखे गये हैं। मंत्रालयों/विभागों ने ठोस प्रयास नहीं किये तथा अधिक व्यय से बचने के लिए वित्तीय अनुशासन का पालन करने हेतु प्रभावी तंत्र नहीं विकसित किये गये।

3.6 लघु/उप शीर्ष-वार आधिक्य व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 58(1) के अनुसार व्यय वहन करने वाले अधीनस्थ प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उसके अधीन रखे गये आबंटन में आधिक्य न हो। यदि कहीं आबंटन से अधिक व्यय की शंका हो तो अधीनस्थ प्राधिकारी को अधिक व्यय करने से पूर्व अतिरिक्त आबंटन प्राप्त कर लेना चाहिए।

तथापि, वर्ष 2012-13 के शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं में पाया गया कि 15 लघु अनुदानों के 60 लघु/उप-शीर्षों में उपलब्ध प्रावधान से ₹पांच करोड़ तथा अधिक का व्यय था। यद्यपि इन लघु/उपशीर्षों में उपलब्ध प्रावधानों से ₹11,860.38 करोड़ का कुल अधिक व्यय किया गया था, जो इन लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत मौजूद प्रावधानों से अधिक था, परंतु संबंधित अनुदान/विनियोग का प्रबंधन करने वाले प्राधिकारी ने उपलब्ध प्रावधान से अधिक व्यय को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किए थे, जो बजटीय नियंत्रण में ढील को दर्शाते हैं। अधिक व्यय वाले लघु उप-शीर्ष **अनुबंध 3.4** में सूचीबद्ध हैं।

3.7 ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत (खण्ड-वार)

लोक लेखा समिति ने अपनी 60 वीं रिपोर्ट (10वीं लोक सभा) में इच्छा जाहिर की थी कि समिति को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुदान के किसी भी अनुभाग में ₹100 करोड़ या इससे अधिक की बचत के संबंध में प्रत्येक वर्ष एक विस्तृत व्याख्यात्मक नोट प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी अनुदान अथवा विनियोग में बचत त्रुटिपूर्ण बजटीकरण के साथ-साथ निष्पादन में कमी को दर्शाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 84 अनुदानों (सिविल, डाक, रेलवे एवं रक्षा सेवाएं सहित) के 104 मामलों में ₹100 करोड़ से अधिक की बचतें हुईं, जिसके लिए लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) को विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी दिए जाने की आवश्यकता है। अधिक बचतें अनेक अनुदानों में देखी गयीं जैसे विनियोग-ऋण का पुर्नभुगतान (₹3,59,181 करोड़), आर्थिक कार्य विभाग (₹53,697 करोड़), ग्रामीण विकास (₹26,267 करोड़), राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण (₹35,928 करोड़), विद्युत मंत्रालय (₹9,436 करोड़), रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (₹9044 करोड़), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (₹8,447 करोड़), परिसंपत्ति-अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थापन-रेलवे निधि (₹8218 करोड़), निधियों के प्रति विनियोग-(रेलवे) (₹7731 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (₹6,108 करोड़), उच्च शिक्षा विभाग (₹4869 करोड़), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (₹4691 करोड़), दूरसंचार विभाग (₹3985 करोड़), वस्त्र विभाग (₹3514 करोड़), पुलिस (₹2999 करोड़), वित्त सेवाएं विभाग (₹2,520 करोड़), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (₹1547 करोड़), आदि। **अनुबंध 3.5** विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत बचतों के ब्यौरे दर्शाता है।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा बचतों के कारण 'कुछ योजनाओं को आरम्भ करने में विफलता', 'प्रगति रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब', 'कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा व्यय की धीमी गति, राज्य सरकारों के पास अव्ययित राशियां पड़े रहना तथा राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति आदि बताये गये थे।

इसके अतिरिक्त, पूंजीगत खण्डों सहित 42 अनुदानों/विनियोगों के 53 खण्डों में पिछले तीन वर्षों (2010-2013) के दौरान ₹100 करोड़ तथा अधिक की निरन्तर बचतें थी जैसा अनुबंध-3.6 में दिखाया गया है। बड़ी निरन्तर बचतों वाले कुछ अनुदान थे सं. 32- आर्थिक मामले विभाग, 33- वित्तीय सेवा विभाग, 35- राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण, 37- ऋणों का पुनर्भुगतान, 46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, 58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, 59- उच्च शिक्षा विभाग, 75- विद्युत मंत्रालय तथा 82- ग्रामीण विकास विभाग तथा 14-निधियों के प्रति विनियोग (रेलवे)।

3.8 बचतों का अभ्यर्पण (संपूर्ण)

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 56 के अनुसार, अनुदान अथवा विनियोग से बचतों का जैसे ही पूर्वानुमान हो, उन्हें वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को भविष्य में सम्भावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, सिविल मंत्रालयों/ विभागों के 97 अनुदानों/विनियोगों के 204 खण्डों के अंतर्गत ₹5,56,467 करोड़ की बचतें हुईं। इसे चार अनुदानों के पाँच खण्डों के अंतर्गत ₹4565 करोड़ के अधिक व्यय के द्वारा प्रतिसन्तुलित किया गया था जिसका परिणाम ₹5,51,902 करोड़ के निवल बचत में हुआ। सिविल मंत्रालयों/विभागों द्वारा अभ्यर्पित की गई राशियां तालिका 3.5 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 3.5 सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत बचतों तथा अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

	अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित की गई राशि	31 मार्च को अभ्यर्पित की गई राशि	अव्ययित प्रावधानों को 31 मार्च को अभ्यर्पित की गई राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि
राजस्व					
दत्तमत	111167.63	104934.50	92193.35	83	6233.13
प्रभारित	14044.47	14020.45	14009.73	100	24.02
कुल: राजस्व	125212.10	118954.95	106203.08	85	6257.15
पूँजीगत					
दत्तमत	70690.19	67816.07	58704.91	83	2874.12
प्रभारित	360565.01	343022.06	343004.94	95	17542.95
कुल: पूँजीगत	431255.20	410838.13	401709.85	93	20417.07
कुल योग	556467.30	529793.08	507912.93	91	26674.22

औषधि विभाग, विदेश मंत्रालय, पेंशन, सार्वजनिक उद्यम विभाग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, दादरा एवं नगर हवेली, खनन मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा सेवाएं-थल सेना, नौ-सेना, वायु सेना, रक्षा आयुध कारखाने और रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय से संबंधित अनुदानों के अंतर्गत अभ्यर्पित राशि बचतों से अधिक थी। अनुबंध 3.7 विवरण प्रदान करता है। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन का सूचक है।

3.9 31 मार्च को बचतों का अभ्यर्पण (अनुदान-वार)

76 मामलों में, एक अनुदान/विनियोग में ₹100 करोड़ से अधिक की बचतें पाई गई थीं जिन्हें 30/31 मार्च 2013 अर्थात् वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन, को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अन्ततः¹ अभ्यर्पित किया गया था। अभ्यर्पित न की गई एवं व्ययगत को अनुमत राशियों सहित बचतों, अभ्यर्पणों के ब्यौरे अनुबंध 3.8 में दर्शाए गये हैं।

3.10 लघु/उप-शीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹ 5 करोड़ से अधिक)

लेखाओं की नमूना जांच ने प्रकट किया कि सिविल मंत्रालयों/विभागों तथा डाक सेवाओं के सात अनुदानों/विनियोगों के 20 मामलों में, कुल ₹ 827.30 करोड़ का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था, क्योंकि जिन लघु/उपशीर्षों में निधियां पुनर्विनियोजन के द्वारा बढ़ाई गई थी उनमें मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक था। परिणामतः इन लघु/शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचतें

¹ वित्त मंत्रालयों द्वारा जारी लेखापरीक्षा आदेश की तिथि के संबंध में माना गया है

इनमें पुनर्विनियोजित की गई राशियों से अधिक थीं। 20 मामले, जहां पांच करोड़ तथा अधिक के पुनर्विनियोग किए गए हैं, का ब्यौरा **अनुबंध 3.9** में दिया गया है।

3.11 लघु/उप-शीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹ 5 करोड़ से अधिक)

इसी प्रकार, लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि रक्षा सेवाओं एवं सिविल मंत्रालयों/विभागों के छह अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 12 मामलों में, इन शीर्षों से कुल ₹ 2060.47 करोड़ के निधि के पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण थे, क्योंकि इनमें प्रत्येक लघु/उप-शीर्ष के अंतर्गत अंतिम संवितरण, पुनर्विनियोग से पहले के मूल प्रावधान से भी अधिक थे। इनमें से प्रत्येक में, इन शीर्षों से पुनर्विनियोग के पश्चात उपलब्ध अंतिम प्रावधान से अधिक व्यय पुनर्विनियोजित राशि से भी अधिक थे। यह 12 मामले, जिनमें ₹ पांच करोड़ और अधिक के पुनर्विनियोजन किए गए हैं, **अनुबंध-3.10** में दिए गए हैं।

3.12 अवास्तविक बजटीय अनुमान के कारण बहुत अधिक अनुपूरक अनुदानें (40 प्रतिशत से अधिक)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 के अन्तर्गत, संसद, सरकार को भारत की समेकित निधि से विशिष्ट राशियाँ विनियोजित करने हेतु प्राधिकृत करती है। संसद संविधान के अनुच्छेद 115 के अनुसार अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी प्राधिकृत कर सकती है। व्ययों के अनुमान तैयार करते समय मंत्रालयों/विभागों से पिछले वर्षों के दौरान संवितरण की प्रवृत्ति को ध्यान में रखना तथा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने से पहले अनुमानों में सभी अपरिहार्य तथा भावी व्यय हेतु प्रावधान करने हेतु आवश्यक सावधानी बरतना अपेक्षित है। वित्त मंत्रालय यथोचित विचार-विमर्श तथा बजट पूर्व बैठकों/संवीक्षा के पश्चात बजट प्रस्तावों को अन्तिम रूप देता है।

वर्ष 2012-13 के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभागों में से अधिकांश ने मूल प्रावधानों से बहुत अधिक अनुपूरक अनुदान/विनियोग प्राप्त किए थे। कुछ अनुदानों के विभिन्न खण्डों में अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान के 933 प्रतिशत तक थे। अनुदान सं. 73-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय पूंजीगत दत्तमत खंड में, ₹1.00 करोड़ के मूल प्रावधान के प्रति 480.50 करोड़ का तकनीकी अनुपूरक लिया गया जो मूल प्रावधान का 48,050 प्रतिशत था। मूल आबंटन के 40 प्रतिशत से अधिक अनुपूरक मांग वाले मामलों का विवरण तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6: अवास्तविक बजटीय अनुमानों के कारण प्राप्त भारी अनुपूरक अनुदानों के ब्यौरे दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान से अनुपूरक प्रावधान की प्रतिशतता
राजस्व (दत्तमत)				
1.	73-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	43758.85	53273.77	122
2.	92-इस्पात मंत्रालय	121.89	125.68	103
राजस्व (प्रभारित)				
3.	21-रक्षा पेंशन	0.26	0.56	215
4.	53-मंत्रिमंडल	0.10	0.28	280
5.	54-पुलिस	5.67	8.15	144
पूंजीगत (दत्तमत)				
6.	9-नागरिक उड्डयन मंत्रालय	4155.82	2000.00	48
7.	10-कोयला मंत्रालय	30.00	279.95	933
8.	66-खनन मंत्रालय	69.58	79.47	114
9.	73-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1.00	480.50	48050
10.	93-वस्त्र मंत्रालय	60.78	66.33	109
पूंजीगत (प्रभारित)				
11.	04-परमाणु ऊर्जा	1.00	8.00	800
12.	81-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	7.50	23.00	307

बड़े अनुपूरक दर्शाते हैं कि मंत्रालयों/विभागों ने यथार्थवादी आधार पर व्यय के अनुमान तैयार नहीं किए थे तथा यथार्थवादी बजटीय अनुमान सुनिश्चित करने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा संवीक्षा तथा पूर्व-बजट बैठकें करने का तंत्र वांछित रूप से प्रभावी नहीं था।

लोक लेखा समिति ने अपने 92वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा 2013-14) में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 हेतु अनुपूरक अनुदानों की बड़ी राशि प्राप्त करने के बावजूद दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित व्यय से अधिक किये गये व्यय को नियमित करते हुए, पाया कि वित्त मंत्रालय का बजटीय प्रावधान के साथ व्यय के वृहत संगति को सुनिश्चित करने के लिए साधनों पर सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय अभ्यासों के अध्ययन की शुरुआत करनी चाहिए। राजस्व-वर्ष के दौरान मूल बजट के अतिरिक्त तीन अनुपूरकों का चलन बजटीय प्रावधानों की शुद्धता को कम करती है। बहुधा अभ्यास में ज्ञात व्ययों को मुख्य बजट

में अनुवर्ती अनुपूरकों द्वारा करने के लिए दबा दिया जाता है। अनुपूरक बजट सामान्य: अपरिहार्य लोकहित के लिए किये गये व्यय के अप्रत्याशित मदों अथवा योजनाओं के लिए होना चाहिए। अन्य राजस्व संघीय मॉडलों के आधार पर वित्त मंत्रालय को साधनों एवं एक ऐसे ढाँचे का विकास करना चाहिए जो विनियोग खर्चों पर संसद की पहुँच एवं देख-रेख को सुनिश्चित करते हुए बजटीय प्रावधानों की शुद्धता को बनाएगा।

सिविल मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत प्राप्त मूल तथा अनुपूरक अनुदानों तथा वर्ष 2005-06 से आगे के मूल प्रावधानों के प्रति अनुपूरक प्रावधानों की प्रतिशतता की स्थिति **अनुबंध 3.11** में दी गई है।

3.13 अनावश्यक नकद अनुपूरक अनुदान

चार अनुदानों/विनियोगों में जिनके ब्यौरे **तालिका 3.7** में दिए गए हैं, 2012-13 के दौरान यद्यपि ₹ 463.14 करोड़ के कुल नकद अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किये थे, परंतु चार में से तीन मामलों में अन्तिम व्यय मूल अनुदान/विनियोग से भी कम हुआ। अतः प्राप्त किया गया समग्र नकद अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था जो त्रुटिपूर्ण बजटीकरण का द्योतक था।

‘नकद अनुपूरक’ प्राप्त करने के बजाय, मंत्रालयों/विभागों को अनुदान में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने की सम्भावना तलाशनी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो ‘टोकन’ या ‘तकनीकी अनुपूरक अनुदान’ लेना चाहिए जिससे वर्ष के अन्त में होने वाली बचतों से बचा जा सके।

तालिका 3.7: नकद अनुपूरक अनुदान/विनियोग से अधिक बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	कुल प्राप्त अनुपूरक अनुदान	नकद अनुपूरक	वास्तविक संवितरण	बचतें
सिविल अनुदान						
1.	19-संस्कृति मंत्रालय	1447.00	3.20	3.15	1390.93	59.27
2.	31-विदेश मंत्रालय	9661.97	1030.02	400.00	10120.70	571.29
3.	49-एड्स नियंत्रण विभाग	1700.00	59.56	59.56	1316.07	443.49
4.	71-संसदीय कार्य मंत्रालय	11.72	0.43	0.43	10.51	1.64
कुल			1093.21	463.14		1075.69

वित्त मंत्रालय को मामलों की समीक्षा करनी चाहिए तथा इस विषय में सभी मंत्रालयों और विभागों को उचित मार्गदर्शन जारी करने पर विचार करना चाहिए।

3.14 उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त किए गए अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, मंत्रालयों/विभागों ने संसद को कई योजनाओं/कार्यकलापों के अन्तर्गत विभिन्न उद्देश्यों हेतु बहुत अधिक अतिरिक्त आवश्यकता सूचित की थीं किन्तु वे अन्ततः न केवल सम्पूर्ण अनुपूरक अनुदानों या उसके भाग को खर्च करने में असफल रहे बल्कि मूल बजट प्रावधान को भी खर्च न कर सके। ऐसे तीन अनुदानों/विनियोगों में स्थिति तीन लघु/उप-शीर्षों जिनमें सम्पूर्ण अनुपूरक अनुदान के साथ मूल बजट प्रावधान भी अव्ययित रहे, इनके ब्यौरे अनुबंध 3.12 में दिए गए हैं।

3.15 निरन्तर बचत (उप-शीर्ष वार)

विनियोग लेखाओं की विस्तृत जाँच से पता चला कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान 18 अनुदानों तथा विनियोगों के अन्तर्गत एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत निरन्तर बचतें पाई गई थी, जो मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही संबंधित योजना के संबंध में खराब बजटीकरण या निष्पादन में कमी या दोनों को दर्शाती है। 22 उप-शीर्षों के अनुदानवार ब्यौरे अनुबंध 3.13 में दिए गए हैं।

3.16 सम्पूर्ण प्रावधान की बचत (उप-शीर्ष वार)

मंत्रालयों/विभागों द्वारा 47 अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत 134 उप-शीर्षों में संसद द्वारा स्वीकृत कुल ₹1,61,185.18 करोड़ की राशि के सम्पूर्ण प्रावधान (₹10 करोड़ एवं अधिक) अव्ययित रहे। सम्पूर्ण प्रावधान की बचतें इस तथ्य को इंगित करती हैं कि अनुमानों को परियोजनाओं/कार्यक्रमों की पर्याप्त समीक्षा के पश्चात तैयार नहीं किया गया था। मुख्य योजनाएं जो सम्पूर्ण प्रावधानों के उपयोग न करने के कारण आगे नहीं बढ़ पायीं अथवा प्रभावित हुईं, वे हैं:

- परमाणु ऊर्जा विभाग: 'भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड' (₹216 करोड़); 'तीव्र रिएक्टर ईंधन चक्र सुविधा (₹580 करोड़);
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय: 'हरित भारत मिशन' (₹221 करोड़);
- वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त मंत्रालय) : 'लम्बी अवधि के सहकारी ऋण संरचना का पुनरुत्थान (₹500 करोड़);
- पुलिस (गृह मंत्रालय): 'उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशील अवसंरचना' (₹155 करोड़);

- अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (गृह मंत्रालय के माध्यम से): 'अ.एवं नि. द्वीप समूहों तथा मुख्य भूमि क्षेत्र के बीच समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए' (₹200 करोड़);
- जल संसाधन मंत्रालय: 'राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन' (₹195 करोड़)

उप-शीर्ष जहाँ ₹10 करोड़ एवं अधिक के पूरे प्रावधान अव्ययित रहे, के ब्यौरे अनुबंध 3.14 में दिये गये हैं।

3.17 एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की बचत

विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कुछ अनुदानों तथा विनियोगों के अंतर्गत एक उप-शीर्ष में ₹ 100 करोड़ या अधिक की बचतें थी जो कि मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली संबंधित योजनाओं के खराब बजटीकरण या निष्पादन में कमी या दोनो को इंगित करती हैं। मंत्रालय/विभाग द्वारा न केवल अनुमानों तथा वास्तविकताओं के बीच बड़े पैमाने पर विचलनों को कम करने, बल्कि कम संसाधनों को लाभकारी ढंग से उपयोग करने हेतु अपनी बजटीय प्रक्रिया को अधिक वास्तविक बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इन मंत्रालयों/विभागों को बजटीय अनुमान की व्यवस्था और/अथवा अपने कार्यक्रम प्रबंधन की दक्षता की समीक्षा करनी चाहिए। अनुबंध 3.15, एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत बजट प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक की ₹ 100 करोड़ या अधिक की 163 ऐसी बड़ी बचतों का ब्यौरा संबंधित मंत्रालय/विभागों द्वारा दिए गए कारणों सहित प्रदर्शित करता है।

निम्नलिखित कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत बड़ी बचतें हुईं:

- **दूरसंचार विभाग:** ₹2,064.10 करोड़ - 'सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति' (2,689.10 करोड़ के बजटीय प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत बेतार ब्राडबैंड योजना के गैर-कार्यान्वयन एवं अनावृत्त ग्राम सार्वजनिक दूरभाष (ग्रा.सा.दू.) चरण-II हेतु दावों को अनुमति न देने, सौर-प्रकाश वॉल्टेइक (सौ.प्र.वा.) मॉडल्यूलों एवं चार्ज संकेतकों का प्रावधान न होने एवं रॉल आउट में कमी के कारण;
- **राज्य तथा सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण:** ₹7738.42 करोड़; - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (₹14242 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत जल संसाधन मंत्रालय से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण; ₹7234.23 करोड़ 'जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन' (₹12,522 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत राज्य

सरकार द्वारा समान शेरों को जारी न किए जाने के कारण, योजनाओं की शुरुआत में विलम्ब तथा परियोजनाओं को वापस लेने के कारण।

- **उच्च शिक्षा विभाग:** ₹2151.78 करोड़ - 'विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षकों के वेतन मान में सुधार' (₹2250 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या में प्राप्ति के कारण।
- **विद्युत मंत्रालय:** ₹4086.15 करोड़ - 'राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण' (₹ 4761 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत विनिवेश हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त न किए जाने के कारण; ₹3162.27 करोड़ - 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम' (₹3810 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता, चरण II परियोजना की सुपूर्दगी में विलम्ब, कार्यान्वयन अभिकरणों से समाप्ति प्रस्तावों की प्राप्ति न होने एवं कुछ राज्यों में कार्य की धीमी प्रगति के कारण।
- **सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय:** ₹ 1777.03 करोड़ - 'राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि के प्रति अंतरण' (₹ 3627.17 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत परियोजनाओं के शेल्फ एवं संबंधित अभिकरणों से वैधानिक मंजूरी/पर्यावरण मंजूरी की प्राप्ति न होने के कारण ₹ 4720.08 करोड़ - 'सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य' (₹5613.80 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) विश्व बैंक से ऋण को अंतिम रूप न दिए जाने, कार्य की धीमी प्रगति एवं राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
- **ग्रामीण विकास विभाग:** ₹ 12644.35 करोड़ - 'जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों आदि को सहायता' (₹ 16042.11 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत राज्य सरकारों की कम समावेश क्षमता तथा पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण, ₹2097.23 करोड़ - 'इंदिरा आवास योजना' (तीन घटकों के अंतर्गत) (₹ 9966 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण, ₹921.93 करोड़, - 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' (तीन घटकों के अंतर्गत) (₹1672.60 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण ।

3.18 बजट प्रावधान के 40 प्रतिशत से अधिक की ₹ 50 करोड़ या अधिक की बचत (लघु/उप-शीर्ष वार)

प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट परिपत्र अनुमानों की रूपरेखा तैयार करते समय, पूर्व निष्पादन, विभिन्न योजनाओं के सूत्रीकरण/कार्यान्वयन के चरण, योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों की संस्थागत क्षमता, व्यय करने वाले अभिकरणों द्वारा किये जाने वाले व्यय पर नियंत्रण आदि पर पूरा ध्यान दिये जाने पर जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य बाद के चरण में परिहार्य अभ्यर्पणों की गुंजाइश को कम करना है। इसके अतिरिक्त, सामान्यतः परियोजनाओं/योजनाओं की बजट-पूर्व संवीक्षा को पूर्ण किए बिना बजट में कोई प्रावधान नहीं किए जाने चाहिए। तथापि, जहाँ आवश्यक संवीक्षा किए बिना प्रावधान किए गए हैं, वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले तथा संसद द्वारा बजट पारित करने तक ऐसी संवीक्षा पूर्ण कर समुचित अनुमोदन प्राप्त कर लेने चाहिए।

शीर्षवार विनियोग लेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभिन्न लघु/उप-शीर्षों के अन्तर्गत मंत्रालयों/विभागों ने अत्यधिक प्रावधान किए थे जिसके परिणामस्वरूप अंततः वर्ष के अन्त में भारी बचतें तथा अभ्यर्पण करने पड़े। **अनुबंध 3.16** बजट प्रावधान के 40 प्रतिशत से अधिक के ₹ 50 करोड़ या अधिक की बचत के ऐसे 48 मामलों का विवरण दर्शाता है।

3.19 मार्च के दौरान तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अंधाधुंध व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 56(3) के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में अंधाधुंध व्यय वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने सितम्बर 2007 में मार्च तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय को बजट अनुमानों के क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए थे।

कुछ मंत्रालयों/विभागों ने व्यय सीमाओं के बारे में वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा जिसके लिए वित्त मंत्रालय ने दोहराया (जनवरी 2013) कि संशोधित अनुमान सीमाओं को योजनावार तथा एक संपूर्ण विषय के रूप में मांग-वार इन सीमाओं पर प्रतिबंध को अंतिम तिमाही/माह में लागू किया जाना था। लेखापरीक्षा द्वारा मंत्रालयों/विभागों से वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु व्यय की प्रवृत्ति से संबंधित सूचना मांगी गई थी।

तालिका 3.8 में दिए गए मामलों में यह पाया गया है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों द्वारा संवितरण का मुख्य भाग 2013 के मार्च माह/वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया था जिससे नियमों के प्रावधानों तथा प्रचलित निर्देशों का उल्लंघन होता था।

तालिका 3.8: मार्च 2013 और/अथवा 2012-13 की अन्तिम तिमाही के दौरान अन्धाधुंध व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता #	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता #	मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं लेखापरीक्षा खंडन
		(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
सिविल							
1.	पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन विभाग	2361.37 (2244.66)	580.55	25 (26)	912.32	39 (41)	मंत्रालय ने बताया कि निर्धारित सीमा से अधिक छूट वित्त मंत्रालय द्वारा छः योजनाओं हेतु प्रदान की गयी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि वित्त मंत्रालय ने छः योजनाओं के लिए छूट प्रदान की थी न कि संपूर्ण भाग के लिए।
2.	9-नागरिक विमानन मंत्रालय	5238.84 (7208.76)	335.92	--	2349.93	45 (33)	--
3.	33-वित्तीय सेवाएँ विभाग	24437.24 (22112.42)	15861.79	65 (72)	15901.17	65 (72)	--
4.	31-विदेश मंत्रालय	9661.97 (10062.00)	2208.45	23 (22)	3551.82	37 (35)	मंत्रालय ने बताया कि अतिरिक्ता को 'बांग्लादेश को सहायता' के रूप में खर्च किया गया था जो मार्च के महीने में अनुदानों हेतु अनुपूरक मांग पारित करने के पश्चात संवितरित किया गया था एवं विदेश स्थिति परियोजनाओं के निर्माण के निष्पादन पर प्रदत्त वापसी योग्य मू.व.क. वित्त वर्ष के अंदर प्राप्त नहीं हुआ था।
5.	50 - भारी उद्योग विभाग	1009.67 (789.97)	209.06	21 (26)	211.63	--	--
6.	53-मंत्रीमंडल	741.87 (797.13)	254.97	34 (32)	338.42	46 (42)	मंत्रालय ने तेजी हेतु प्र.मं. की यात्राओं के बिलों की एयर इण्डिया से एवं अन्य मंत्रालयों से विलंबित प्राप्ति को दोषी ठहराया। इसके अतिरिक्त बताया गया कि कई चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल भी देर से प्राप्त हुए थे।

क्र. सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता #	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता #	मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं लेखापरीक्षा खंडन
		(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)			
7.	60- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	2737.39 (2693.47)	654.21	24 (24)	1214.35	44 (45)	मंत्रालय ने व्यय में तेजी हेतु मार्च माह में अनुपूरक मांगों के दूसरे खेप के अनुमोदन की दोषी ठहराया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि व्यय ने संशोधित अनुमान सीमाओं से संबंधित निर्धारित सीमा को भी पार कर दिया।
8.	70-पंचायती राज मंत्रालय	5350.74 (4000.66)	1249.88	23 (31)	1892.07	35 (47)	मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2013) कि इन सीमाओं से अधिक व्यय की छूट वित्त मंत्रालय से प्राप्त की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छूट कुछ विशेष योजनाओं के लिए ही था और और वित्त मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सीमा पूरे मांग कर लागू होगी।
9.	73- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	43759.85 (97514.10)	26240.31	60 (27)	56856.38	130 (58)	--
10.	75-ऊर्जा मंत्रालय	15291.60 (12339.88)	3932.54	26 (32)	4030.01	26 (33)	--
11.	86-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	3484.00 (2956.00)	2945.74	85 (100)	2945.74	85 (100)	--
12.	92-इस्पात मंत्रालय	121.89 (247.07)	9.38	--	177.44	146 (72)	--

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित प्रतिशत दर्शाता है।

--निर्धारित सीमा के अंदर व्यय

नोट: कॉलम में दी गई प्रतिशतता अनुबंध 1.2 के साथ मेल नहीं खाती है क्योंकि इन प्रतिशतताओं को बजट अनुमानों के संबंध में परिकलित किया गया है (संशोधित अनुमानों के अनुसार)। दूसरी ओर, अनुबंध 1.2 में दी गई प्रतिशतताएं, कुल व्यय से संबंधित प्रतिशतताएं हैं।

चूंकि निधियां विभिन्न संगठनों को मार्च में जारी की गई थी वर्ष के दौरान प्रलक्षित रूप से खर्च नहीं हो सकी, जो उसी माह के अंतिम दिन पर समाप्त होनी थी इसलिए यह निष्कर्ष निकालना असंभव है कि क्या ये निधियां उसी उद्देश्य के लिए अनुप्रयुक्त की गईं जिसके लिए प्राधिकृत की गई थी।

3.20 रक्षा सेवाएं

3.20.1 निरंतर बचतें

रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की जांच में छः अनुदानों के प्रभारित/दत्तमत खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति देखी गई जिसका विवरण तालिका 3.9 में दिया गया है।

तालिका 3.9: वर्ष 2010-13 के दौरान निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं. उप मुख्य/लघु शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13
22- रक्षा सेवाएं - थल सेना (मुख्य शीर्ष 2076)			
113-राष्ट्रीय कैडेट कोर (दत्तमत)	234.10	244.63	286.33
800-अन्य व्यय (प्रभारित)	6.86	8.90	2.13
800-अन्य व्यय (दत्तमत)	142.83	246.90	490.67
23- रक्षा सेवाएं- नौ सेना(मुख्य शीर्ष 2077)			
101-नौ सेना के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	17.52	40.15	303.47
104- नागरिकों के वेतन एवं भत्ते (प्रभारित)	0.84	7.18	2.00
104 नागरिकों के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	20.09	658.17	295.87
111- निर्माण कार्य (प्रभारित)	3.05	2.56	0.71
800- अन्य व्यय (प्रभारित)	0.08	1.23	1.42
24-रक्षा सेवाएं-वायु सेना (मुख्य शीर्ष-2078)			
105-परिवहन (प्रभारित)	0.01	0.01	0.05
111-निर्माण कार्य (प्रभारित)	0.90	2.00	0.77
800- अन्य व्यय (प्रभारित)	0.13	0.54	2.02
800-अन्य व्यय (दत्तमत)	64.47	52.06	118.49
25-रक्षा आयुध कारखाने (मुख्य शीर्ष 2079)			
001-निर्देशन एवं प्रशासन (प्रभारित)	0.06	0.21	0.46
004- अनुसंधान एवं विकास (दत्तमत)	0.05	4.29	21.96
053- अनुरक्षण-मशीनरी एवं उपकरण (दत्तमत)	5.14	6.22	2.69
106-नवीकरण एवं प्रतिस्थापन (दत्तमत)	117.18	14.75	84.15
110 - भण्डार (प्रभारित)	0.04	1.72	1.60
110 - भण्डार (दत्तमत)	1336.20	246.03	781.41
111-निर्माण कार्य (प्रभारित)	0.04	0.10	0.10
111-निर्माण कार्य (दत्तमत)	25.25	34.07	22.68

अनुदान सं. उप मुख्य/लघु शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13
26-रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास (मुख्य शीर्ष-2080)			
003-प्रशिक्षण (दत्तमत्त)	6.34	3.94	0.42
004-अनुसंधान/अनुसंधान एवं विकास (दत्तमत्त)	22.44	132.09	632.89
102- नागरिकों के वेतन एवं भत्ते (प्रभारित)	0.11	0.10	0.06
105-परिवहन (दत्तमत्त)	1.81	12.19	26.74
110 - भंडार (प्रभारित)	0.15	0.20	0.20
27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (मुख्य शीर्ष-4076)			
01-थल सेना			
050-भूमि (प्रभारित)	16.71	17.26	16.35
050-भूमि (दत्तमत्त)	307.82	131.31	14.89
101-विमान एवं वायु इंजन (दत्तमत्त)	524.74	686.66	745.58
103-अन्य उपकरण (दत्तमत्त)	875.89	3895.78	1591.85
105-सैन्य फार्म (दत्तमत्त)	1.92	2.17	6.64
107-भूतपूर्व-सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना (दत्तमत्त)	34.18	34.04	33.17
113-राष्ट्रीय कैडेट कोर (दत्तमत्त)	25.67	22.35	49.31
202-निर्माण कार्य (दत्तमत्त)	906.55	656.88	1350.22
02 - नौ सेना			
050-भूमि (दत्तमत्त)	16.93	5.87	9.20
102-भारी एवं मध्यम वाहन (दत्तमत्त)	7.90	12.88	12.55
03 - वायु सेना			
050-भूमि (दत्तमत्त)	10.44	17.45	70.22
04 - रक्षा आयुध कारखाना			
111-निर्माण कार्य (प्रभारित)	0.11	0.74	2.00

अनुदानों के उपर्युक्त शीर्षों में भारी बचतों की निरन्तर प्रवृत्तियाँ, निधियों की आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाने या आपूर्ति प्राप्तियों एवं परियोजनाओं हेतु खराब योजना, अपर्याप्त निविदा प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमी तथा निरन्तर बचतों से बचने हेतु प्रभावी उपचारी उपायों को प्रारम्भ करने की विफलता की संकेतक हैं।

3.20.2 रक्षा सेवाएं अनुदानों बचतों का अभ्यर्पण

अनुदान अथवा विनियोग में बचतों का पूर्वानुमान होने पर उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना अभ्यर्पित करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय नियमावली के अनुसार बचतों को सम्भावित भावी आधिक्यों हेतु भी आरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। 2012-13 के दौरान, दो अनुदानों के प्रभारित खण्डों के अंतर्गत ₹ 9.72 करोड़ के अभ्यर्पण की तुलना में ₹39.81 करोड़ की बचत पायी गई। रक्षा सेवाओं के छः अनुदानों के दत्तमत्त खण्डों के अन्तर्गत ₹14,910.47 करोड़ अभ्यर्पित किए जाने पर भी ₹11,212.59 करोड़ की बचत थी। अतः दत्तमत्त खण्ड में छः अनुदानों के अंतर्गत ₹14910.47 करोड़ तथा प्रभारित

खण्ड में दो अनुदानों के अंतर्गत ₹9.72 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किए गए थे, जो कि नियमों के प्रतिकूल था जैसा नीचे तालिका 3.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.10: बचतें एवं अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान/विनियोग	बचत (-)		अन्तिम दिन अभ्यर्पित की गई राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि (व्यपगत)	
	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत
22-थल सेना	-	463.60		1926.79	--	--
23-नौ सेना	-	645.87	--	1153.11	--	--
24-वायु सेना	-	200.37	--	620.07	--	--
25-रक्षा आयुध कारखाने	3.96	42.45	0.45	426.00	3.51	--
26-अनुसंधान एवं विकास	0.05	816.63	--	793.76	0.05	22.87
27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	35.85	9043.67	9.27	9990.74	26.58	--
कुल	39.86	11212.59	9.72	14910.47	30.14	22.87

अनुदान सं. 22-थल सेना, 23-नौ सेना, 24-वायु सेना 25-रक्षा आयुध कारखाने, 26-अनुसंधान एवं विकास और 27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के मामले में रक्षा मंत्रालय ने पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग में ₹14,910.47 करोड़ की उपलब्ध बचतों के प्रति ₹11,212.59 करोड़ अभ्यर्पित किए। यह मंत्रालय में त्रुटिपूर्ण बजटीय नियंत्रण तंत्र दर्शाता है।

3.20.3 रक्षा सेवाएं अनुदानों में उपलब्ध प्रावधान से अधिक निरंतर अतिरिक्त व्यय

पिछले तीन वर्षों में रक्षा सेवाओं से संबंधित कुछ अनुदानों में वित्तीय बजटीय नियंत्रण की विफलता की लगातार प्रवृत्ति पर विश्लेषणात्मक तालिका नीचे वर्णित है:

तालिका 3.11: 2010-13 वर्षों के दौरान निरंतर अतिरिक्त व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	2010-11 के दौरान अंतिम अधिक व्यय	2011-12 के दौरान अंतिम अधिक व्यय	2012-13 के दौरान अंतिम अधिक व्यय
मुख्य शीर्ष- 2077				
अनुदान सं. 23- रक्षा सेवाएं- नौ सेना				
1.	800-अन्य व्यय	35.09	21.11	35.65
मुख्य शीर्ष - 4076				
अनुदान सं. 27 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय				
01 - थल सेना				
2.	050-भूमि	25.25	4.94	8.10
3.	103-अन्य उपकरण	363.44	42.32	146.87
02 - नौ सेना				
7	103-अन्य उपकरण	67.65	130.26	328.97

मंत्रालय यह स्पष्टीकरण देने में विफल रहा कि प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखे/नियंत्रक रक्षा लेखे ने उपलब्ध प्रावधान से अधिक व्यय प्राधिकृत कैसे किया।
